Date : 3 मार्च 2023

एफसीआरए लाइसेंस

संदर्भ- हाल ही में सरकार नें एक प्रमुख थिंक टैंक सीपीआर का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया है।
सितंबर 2022 में सीपीआर व ऑक्सफेम पर आयकर सर्वेक्षण के बाद सीपीआर का लाइसेंस जाँच के दायरे में था। सीपीआर ने यह दावा किया है कि उसने एसोसिएशन तथा कानून के दायरे के बाहर कोई कार्य नहीं किया है।

सीपीआर

- सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (CPR) 1973 से भारत के अग्रणी सार्वजनिक नीति थिंक टैंकों में से एक रहा है।
- CPR एक गैर-लाभकारी, गैर-पक्षपातपूर्ण, स्वतंत्र संस्थान है जो अनुसंधान करने के लिए समर्पित है।
- उच्च गुणवत्ता वाली छात्रवृत्ति, बेहतर नीतियों और एक में योगदान देता है।
- सीपीआर भारत के सर्वश्रेष्ठ विचारकों और नीति चिकित्सकों को एक साथ लाता है जो विभिन्न विषयों और पेशेवर पृष्ठभूमि से आकर्षित होकर नीतिगत क्षेत्र में अनुसंधान और जुड़ाव दोनों में सबसे आगे हैं।
- संस्था विद्वानों की उत्कृष्टता का पोषण और समर्थन करती है। हालाँकि, संस्था मुद्दों पर सामूहिक स्थिति नहीं लेती है। सीपीआर के विद्वानों को अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त करने की पूरी स्वायत्तता है।

सीपीआर की भूमिका

- सीपीआर भारत के सर्वश्रेष्ठ विचारकों और नीति व्यवसायियों को मजबूत अनुसंधान करने के लिए एक साथ लाता है जो नए विचारों को उत्पन्न करता है, विचारों और नीति डिजाइन के बीच की खाई को पाटता है, और मजबूत, समावेशी और संपूर्ण नीति के **कार्यान्वयन** की ओर ले जाता है।
- सीपीआर में संकाय की बहु-**अनुशासनात्मक** अनुसंधान विशेषज्ञता, नीति **निर्माण** प्रक्रियाओं के साथ सीधे जुड़ाव में संस्थान के प्रयासों के साथ मिलकर, उन पहलों का परिणाम है जो

महत्वपूर्ण विधानों के प्रारूपण के लिए प्रेरित हुए हैं, सुधारों को सक्षम करना, और राष्ट्रीय और अच्छी तरह से उप-राष्ट्रीय सरकारों को महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करना।

- सीपीआर विश्वविद्यालयों और गैर सरकारी संगठनों से लेकर जमीनी स्तर के संगठनों और सरकारी निकायों तक – कई **स्तरों** पर नीतिगत हितधारकों के साथ मिलकर काम करता है। सीपीआर के फैकल्टी, सरकारी समितियों और टास्क फोर्स में नियमित भागीदार हैं, जो प्रत्यक्ष इनपुट और सलाहकार सहायता प्रदान करते हैं।
- सीपीआर विद्वतापूर्ण और रणनीतिक जुड़ाव का एक गतिशील केंद्र बनाता है और अनुसंधान और शिक्षा क्षेत्र में कुछ सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को सलाह देने की पोषित **संस्कृति** का निर्माण करता है।

एफसीआरए

- **1969** में भारत ने यह महसूस किया कि स्वतंत्र विदेशी संस्थाएं भारत में निवेश करके भारत के मामलों में हस्तक्षेप कर रही थी, इन चिंताओं के मद्देनजर FCRA के गठन की आवश्यकता महसूस हुई। और 1976 में FCRA को अधिनियमित किया गया।
- इस कानून में संघों से विदेशी दान को विनियमित करने की मांग की गई है ताकि वे "एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल्यों के अनुरूप" कार्य कर सकें।
- 2010 में यूपीए सरकार के तहत एक संशोधित एफसीआरए अधिनियमित किया गया था ताकि विदेशी धन के उपयोग पर "कानून को मजबूत" किया जा सके और राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधि के लिए उनके उपयोग को "**प्रतिबंधित**" किया जा सके।
- और पुनः 2020 में वर्तमान सरकार द्वारा कानून में फिर से संशोधन किया गया, जिसमें सरकार को एनजीओ द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति और उपयोग पर **सख्त** नियंत्रण व जाँच करनी थी।

किसी एनजीओ द्वारा विदेशी आर्थिक दान की प्राप्ति के लिए अधिनियम के तहत निम्न प्रावधान होते हैंः

- एनजीओ को अधिनियम के **अंतर्गत** पंजीकृत होना होगा।
- विदेशी धन प्राप्त करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के दिल्ली केंद्र में खाता होना आवश्यक है।
- विदेशी निधियों का प्रयोग, उसी **उद्देश्य** के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए उन्हें प्राप्त किया गया है या जो अधिनियम **में** निर्धारित किए गए हैं।

एफसीआरए के तहत निम्नलिखित द्वारा चुनाव प्रचार के लिए विदेशी धन प्राप्त करने पर रोक लगाई गई है-

- उम्मीदवारों
- पत्रकारों या मीडिया प्रसारण कंपनियों
- न्यायाधीशों व सरकारी कर्मचारियों
- विधायिका व राजनीतिक दल के सदस्यों और अधिकारियों
- राजनीतिक प्रकृति के संगठनो पर रोक लगायी जा सकती है।

किसी भी संस्था एफसीआरए प्रमाणपत्र पर रोक लगाने से पूर्व उसे इस व्यक्ति या संस्था को सुनवायी का उचित अवसर दिया जाता है, एक बार किसी व्यक्ति का पंजीकरण रद्द हो जाने के बाद उसे तीन वर्ष तक पंजीकरण के लिए आवेदन करने का अधिकार नहीं होता है। केंद्रीय मंत्रालय 180 दिन तक एफसीआरए प्रमाणपत्र निलंबित करने के साथ संस्था के फंड को भी फ्रीज करने की शक्ति रखता है।

एफसीआरए निरस्त करने की परिस्थितियाँ

- अधिनियम के तहत जांच में गलत विवरण पाया गया तो एफसीआरए निरस्त किया जा सकता है।
- एनजीओं को प्रमाण पत्रों के नवीनीकरणया किसी अन्य नियम का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है।
- सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर एफसीआरए को निरस्त किया जा सकता है।
- जांच या ऑडिट के दौरान एनजीओं के धन के प्रयोग में अनियमितता(दुरुपयोग) प्राप्त हो।

भारत में विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप को रोकने, देश में विदेशी धन के दुरुपयोग, गैर सरकारी संगठनों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एफसीआरए का कार्यान्वयन इसी प्रकार बने रहना आवश्यक है।

स्रोत

इण्डियन एक्सप्रैस

https://cprindia.org/who-we-are/

https://fcraonline.nic.in/Home/PDF_Doc/FC_04072022.pdf

गुंजन जोशी

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com

विश्व वन्य जीव दिवस 2023

संदर्भ- 3 मार्च 2023 को पूरे विश्व **में** अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह दिवस वन्यजीवों व पौंधों के प्रति जागरुकता बनाए रखने के लिए मनाया जा रहा है।

विश्व वन्य जीव दिवस

- 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त **राष्ट्र** महासभा की 68वे सत्र में 3 मार्च को **विश्व** वन्य जीव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। विश्व की प्रजातियों व प्राणियों के **संदर्भ** में जागरुकता लाने का प्रस्ताव थाइलैण्ड की तरफ से आया था।
- 3 मार्च को इस दिवस को मनाने के लिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1973 को वन्यजीव व वनस्पतियों की लुप्तप्राय **प्रजातियों** में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) को अपनाया गया।
- 2023 में विश्व वन्य जीव दिवस के लिए विषय – (Partnership for Wildlife Conservation) या वन्यजीव **संरक्षण** के लिए सांझेदारी – को चुना गया है।

विश्व वन्य जीव दिवस का महत्व

- जलवायु परिवर्तन के साथ जीवों व पौंधों में निरंतर परिवर्तन आ रहा है। और वर्तमान जलवायु कई जीवों को विलुप्त **अवस्था** की ओर ले जा रही है ऐसे में **वन्य** जीवों को विशेष संरक्षण देने की आवश्यकता है जिससे उन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सके।
- IUCN की लेड लिस्ट के अनुसार विश्व की 8400 प्रजातियाँ वर्तमान में **संकटग्रस्त** हैं, 30000 से अधिक प्रजातियों को **असुरक्षित** माना जाता है। और 1 लाख से अधिक प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। भारत की 9472 प्रजातियों में से 1384 प्रजातियाँ IUCN की लाल सूची में हैं। IUCN सूची में स्थान रखने वाले ग्रेटर स्कूप भारत के लोकतक झील में मिले हैं। जिनके संरक्षण की **आवश्यकता** है।

वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES)

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, इसका पालन राष्ट्रीय,अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय संगठन स्वैच्छिक रूप से करते हैं।
- 1963 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के रूप में इसका ढांचा तैयार किया और 1975 में इसे लागू किया गया।
- वर्तमान में इसमें 183 देश शामिल हैं।
- CITES का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संकट के कारण वन्य जीवों में होने वाले संकटों को कम करना है।

वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत सरकार के कदम-

- **संविधान का अनुच्छेद 48(क) और अनुच्छेद 51(क)** में वनों व वन्य जीवों की सुरक्षा करना और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखना भारतीय नागरिक का कर्तव्य बताया गया है।
- 2022 में केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण विधेयक 1976 में संशोधन कर वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक लाया गया जिसके तहत CITES द्वारा संरक्षित प्रजातियों के आयात व निर्यात के लिए भारत सरकार लाइसेंस प्रदान करेगी।
- भारत में लगभग 544 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, यह अभ्यारण्य सरकार द्वारा संरक्षित वन हैं। इनका उद्देश्य वन्य जीवों व वन संपदा को संरक्षित करना है।भारत में कुल 101 राष्ट्रीय पार्क, 503 वन्यजीव अभ्यारण्य, 86 कंजर्वेशन रिजर्व और 163 कम्यूनिटी रिजर्व हैं।
- वन्यजीवों के संरक्षण के लिए भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, यह रिजर्व पश्चिम बंगाल, उत्तराखण्ड, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में स्थित हैं।
- 1952 में वन्यजीव संरक्षण के लिए केंद्रीय सलाहकार समिति बनाई गई थी। इस आयोग के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री तथा सदस्य पर्यावरणविद होते हैं।
- **वन्यजीव कार्ययोजना-** यह वन्यजीव कार्ययोजना वन्यजीव संरक्षण के लिए क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। वर्तमान में तीसरी कार्ययोजना (2017-2031) प्रचालित है। इसके तहत ड्रोन व इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता से शिकार व अवैध कार्यों पर रोक लगायी जा सकेगी।

वन्यजीव संरक्षण की आवश्यकता

- **आजीविका-** भारत की आधे से अधिक आबादी की आजीविका प्राकृतिक घटकों पर निर्भर करती है जैसे तटीय क्षेत्रों की आबादी मछलियों पर निर्भर करती है, जलवायु परिवर्तन व समुद्र के प्रदूषित जल के कारण मछलियों की कई प्रजातियाँ नष्ट हो चुकी हैं।
- **पारिस्थितिकी तंत्र –** वन्यजीवों के विलुप्त होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। जैसे भारत में मैंग्रूव जैव विविधता में अत्यधिक समृद्ध हैं। जो रॉयल बंगाल टाइगर, मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ, मकाक, तेंदुआ बिल्लियाँ, जंगली सुअर, उड़ने वाली लोमड़ी, पैंगोलिन और भारतीय ग्रे नेवला जैसी संकटग्रस्त या लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है। जैव

विविधता हॉट स्पॉट के रीप में हर साल यह आगंतुकों को आकर्षित करता है, जिससे मूल्यवान राजस्व उत्पन्न होता है।

स्वास्थ्य लाभ – भारत में लगभग 1158 औषधीय वनस्पति पाई जाती हैं। तापमान में बढ़ोतरी के कारण हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति विलुप्त होने की संभावना बढ़ रही है जिनके संरक्षण की आवश्यकता है।

वन्य जीवों के संरक्षण के लिए चुनौतियाँ

- पर्यावरण प्रदूषण
- मानव पशु संघर्ष
- जलवायु परिवर्तन
- पारिस्थितिकीय तंत्र का संरक्षण

स्रोत

https://www.un.org/en/observances/world-wildlife-day

गुंजन जोशी

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com